I

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 243368 पटना, दिनांक:- 21/08/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(अ0का0यो0)-102-04/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **वर्ष 2014-15 के पूर्व के निर्माणाधीन इंदिरा आवास को पूर्ण कराने के लिए मनरेगा के अभिसरण से इंदिरा आवास के लाभुकों को अकुशल मजदूरी का भुगतान के संबंध में ।**

प्रसंग :- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक-M-13011/05/2013-RH दिनांक-13.07.15

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधान के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में इंदिरा आवास निर्माण कराने के लिए इंदिरा आवास के लाभुकों को मनरेगा के अभिसरण से निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए दिवस निम्न रूप से मानव दिवस सृजित कर मजदूरी भुगतान करने का निदेश दिया जा चुका है :-

क्र0 सं0	इंदिरा आवास निर्माण का चरण	कुल सृजित अकुशल मानव दिवस का प्रतिशत	मानव दिवस की सं0 सामान्य जिलों के लिए	मानव दिवस की सं0 IAP जिलों के लिए
1	2	3	4	5
1.	प्लिंथ लेवल तक	31 %	28	30
2.	प्लिंथ लेवल से लिंटल लेवल तक	26 %	24	25
3.	लिंटल से छत लेवल तक	11 %	10	10
4.	छत लेवल से आवास पूर्ण होने तक	32 %	28	30
	कुल सृजित अकुशल मानव दिवस	100 %	90	95

किन्तु वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व के निर्माणाधीन आवास को पूर्ण करने के लिए दिशा-निर्देश स्पष्ट नहीं थे । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के पूर्व के स्वीकृत एवं निर्माणाधीन इंदिरा आवास के लाभुकों को भी इंदिरा आवास पूर्ण कराने के लिए मनरेगा के अभिसरण से अकुशल मजदूरी का भुगतान का लाभ दिया जायेगा । उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों को उसी स्तर से अनुमान्य मानव दिवस के अनुरूप अकुशल मजदूरी भुगतान का लाभ दिया जायेगा जो निर्माणाधीन हैं तथा जिसके लिए e muster Roll जनित किया जा सकता है । यदि किसी लाभुक का निर्माणाधीन आवास प्लिंथ लेवल तक पूर्ण है तो उसे आगे के निर्माण कार्य के लिए मजदूरी अनुमान्य होंगे । मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया वही होगी जो पूर्व में विभागीय पत्र संख्या-201122 दिनांक-12.09.14 की कंडिका-6 में विहित है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि सभी संबंधित अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को उपर्युक्त प्रावधान से अवगत कराते हुए वर्ष 2014-15 के पूर्व के निर्माणाधीन इंदिरा आवास को कार्य योजना बनाकर एक निश्चित अवधि में पूर्ण कराने की कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(प्रदीप कुमार) 20/8/15

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 243368 पटना, दिनांक 21/08/15

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 20/8/15

ज्ञापांक 243368 पटना, दिनांक 21/08/15

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 20/8/15

No.M-13011/05/2013-RH
Government of India
Ministry of Rural Development
(Rural Housing Division)

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated: 13th July, 2015

To

The Principal Secretary / Secretary (Rural Development) of all State Governments and UT Administration dealing with Indira Awaas Yojana.

Subject: Convergence of Indira Awaas Yojana (IAY) with Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and utilisation of administrative expenses for ensuring quality of construction and monitoring -- Regarding.

Sir / Madam

I am directed to refer to the discussions held during the Performance Review Committee Meeting held on 9th July, 2015 on the above mentioned subject. In this regard, the following is clarified :-

(a) Convergence of IAY with MGNREGA

Construction of IAY House under MGNREGA has been made a permissible activity. Accordingly, an advisory dated 27th March, 2015 has been issued to the State Government about the procedure to be adopted so that all the beneficiaries of IAY get the advantage of the convergence with the scheme of MGNREGA wherein a beneficiary is entitled for wage component 90/95 days.

However, with regard to availing the benefit of convergence with MGNREGA in respect of the IAY houses that have been sanctioned prior to 2014 (when construction of IAY House has not been included as a permissible activity under MGNREGA), it is clarified that the unskilled construction activity for such houses can also be done through convergence under MGNREGA subject to the condition that the stagewise limits that have been set are adhered to. Therefore if NREGA convergence has not been effected in the past it can now be done only for those stages which are constructed now and for which muster roll can be generated. Muster roll cannot be generated with retrospective effect for work already completed.

(b) Utilisation of administrative expenses for ensuring quality and monitoring

As per para 3.6 of IAY guidelines, cost towards ensuring quality of construction and monitoring the implementation of the scheme is an eligible item of expenditure under administrative expenses. In order to take up these

activities, personnel on contract basis can to be engaged at the State, District, Block and Panchayat Level. The details of the personnel who can be engaged at different levels are as follows :-

State Level

Technical Expert in the field of construction of house
Expert to look after IT/MIS/PFMS
Expert to look after all Financial matters
Social Mobilisation expert (optional)
Training Coordinator (optional)

District Level

Coordinator for all the activities of IAY at District
IT Personnel
Training Coordinator (Optional)

Block Level

Coordinator for all the activities of IAY at Block level.

Village/Gram Panchayat level

Every house sanctioned under IAY is to be tagged to a Village level functionary (Gram Rozgard Sahayak or any other village level worker) whose task it is to follow up with the beneficiary and facilitate construction. He/she may be paid the expenses towards travel and other incidental expenses and a performance based incentive approved at state level.

The rate of compensation & incentive to be paid to the personnel can be arrived depending upon the current market rates prevailing in the state. The budget ceiling for administrative expenses will not be lifted and adequate amount must also be available for other activities such as IEC and Social Audit.

This issues with the approval of Joint Secretary, Ministry of Rural Development.

Yours faithfully,

M. Rama Krishna

(M. Rama Krishna)
Under Secretary to Govt. of India
Tel: 011-23381343

Copy to :-

संख्या एम-13011/05/2013-आरएच

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण आवास प्रभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 13 जुलाई, 2015

सेवा में

इंदिरा आवास योजना से संबंधित सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रधान सचिव/सचिव (ग्रामीण विकास)।

विषय: इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के साथ तालमेल तथा निर्माण एवं निगरानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्ययों के उपयोग के संबंध में।

महोदय/महोदया

मुझे उपर्युक्त विषय पर दिनांक 09 जुलाई, 2015 को आयोजित निष्पादन समीक्षा समिति की बैठक के दौरान हुई चर्चा का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है। इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्ट किया जाता है:

(क) आईएवाई का मनरेगा के साथ तालमेल

मनरेगा के अंतर्गत आईएवाई मकान का निर्माण एक अनुमेय कार्यकलाप है। तदनुसार 27 मार्च, 2015 को राज्य सरकार को ऐसी प्रक्रियाविधि अपनाने का निर्देश जारी किया गया है जिससे आईएवाई के सभी लाभार्थी मनरेगा योजना के साथ तालमेल, जिसमें लाभार्थी 90/95 दिनों का मजदूरी रोजगार पाने का हकदार है, का लाभ प्राप्त कर सकें।

तथापि, वर्ष 2014 से पहले स्वीकृत किए गए (जब आईएवाई मकान का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत अनुमेय कार्यकलाप के रूप में शामिल नहीं किया गया था) आईएवाई मकानों के संबंध में मनरेगा के साथ तालमेल का लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि मनरेगा के तहत तालमेल के माध्यम से ऐसे मकानों के लिए अकुशल निर्माण कार्यकलाप भी किया जा सकता है बशर्ते बनाई गई सीमाओं का चरण-वार अनुपालन किया जाए। इसलिए यदि नरेगा तालमेल पूर्व में प्रभावी नहीं था, तो अब यह निर्माण के उन्हीं चरणों पर लागू किया जा सकता है जिनका निर्माण अभी हुआ है और जिसका ब्यौरा मस्टर रोल में दिया जा सकता है। पहले से ही पूरे किए गए कार्य के लिए पूर्व प्रभाव से मस्टर रोल नहीं बनाया जा सकता है।

(ख) गुणवत्ता एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक व्ययों का उपयोग।

आईएवाई दिशा-निर्देशों के पैरा 3.6 के अनुसार, निर्माण की गुणवत्ता तथा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी को सुनिश्चित करने में लगने वाली लागत प्रशासनिक व्ययों के अंतर्गत व्यय की पात्र मद है। इन कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर

कार्मिकों को संविदा आधार पर नियुक्त किया जा सकता है। जिन कार्मिकों को विभिन्न स्तरों पर नियुक्त किया जा सकता है उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य स्तर :

मकान के निर्माण के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ
आईटी/एमआईएस/पीएफएमएस की देखभाल के लिए विशेषज्ञ।
सभी वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए विशेषज्ञ
सामाजिक एकजुटता विशेषज्ञ (वैकल्पिक)
प्रशिक्षण समन्वयक (वैकल्पिक)

जिला स्तर :

जिला स्तर पर आईएवाई के सभी कार्यकलापों के लिए समन्वयक
आईटी कार्मिक
प्रशिक्षण समन्वयक (वैकल्पिक)

ब्लॉक स्तर :

ब्लॉक स्तर पर आईएवाई के सभी कार्यकलापों के लिए समन्वयक

ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर :

आईएवाई के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक मकान को ग्राम स्तर के कार्यकर्ता (ग्राम रोजगार सहायक अथवा अन्य कोई ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता) से जोड़ा जाना है कार्यकर्ता का कार्य लाभार्थी की जानकारी रखना और निर्माण में सहायता करना है। उसे यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चे एवं राज्य स्तर पर स्वीकृत किया गया निष्पादन/कार्य-प्रदर्शन आधारित व्यय दिया जा सकता है।

राज्य में प्रचलित वर्तमान बाजार दरों के आधार पर कार्मिक को दिए जाने वाले मुआवजे एवं प्रोत्साहन राशि की दर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक व्ययों के लिए बजटीय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा और अन्य कार्यकलापों जैसे आईईसी एवं सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध होना आवश्यक है।

यह संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

एम. रामकृष्ण

(एम.रामकृष्ण)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23381343

प्रति : वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूचनार्थ।